केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Central Sanskrit University
(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)
(Established by An Act of Parliament)
जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)
Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

के.सं.वि.ज. / रूपक / 2025–26 / 01 दिनांक: 01.01.2026 06

निविदा आमंत्रण

जयपुर परिसर द्वारा दिनांक 28.01.2026 एवं 29.01.2026 को आयोजित होने वाले रूपक महोत्सव में भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था हेतु अनुभवी एवं योग्य कैटरिंग सेवा प्रदाताओं से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। महोत्सव के दौरान निर्धारित तिथियों में मीनू विवरण के अनुसार शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध भोजन / जलपान की व्यवस्था करनी होगी। अतः इच्छुक व्यक्ति / फर्म संलग्न नियम एवं शर्तों का अवलोकन करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में दिनांक 12.01.2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। नियम एवं शर्तों का अवलोकन परिसर की वेबसाईट https://www.csu-jaipur.edu.in/tender.html से डाउनलोड किए जा सकते है।

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 12.01.2026 अपराह्न 02:00 बजे तक

निविदा जमा करने का स्थान : कक्ष संख्या–09, बहु–उद्देशीय भवन, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्याल, जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

निदेशक / Director

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

जयपुर परिसर

रुपक महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

कार्य का नामः दिनांक 28-29 जनवरी, 2026 तक जयपुर परिसर में आयोजित रुपक महोत्सव में भोजन व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण।

निविदा फार्म की अंतिम तिथिः	12 जनवरी 2026 अपराह्न 02 बजे तक
निविदा तकनीकी बोली खोलने की तिथिः	16 जनवरी 2026 अपराह्न 02 बजे से
निविदा वित्तीय बोली खोलने की तिथिः	17 जनवरी 2026 अपराह्न 02 बजे से
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशिः	8,10,000/-
धरोहर राशिः	16,200/-(सोलह हजार दो सौ मात्र)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,जयपुर परिसर
(e-mail)	director-jaipur@sanskrit.ac.in

विश्वविद्यालय, परिसर के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

रुपक महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था हेतु
निर्देशानुसार प्रति (Copy) संलग्न करें:-

1. सेवाप्रदाता को कैटरिंगव्यवस्था के क्षेत्र में पूर्व अनुभव होना अनिवार्य है। भोजन/
2. विगत 3 वर्षों का टर्नओवर CA द्वारा सत्यापित 20,00,000/- होना अनिवार्य है। साथ ही विगत तीन वर्षों का ITR फाइल की प्रति लगाना अनिवार्य है।
3. सेवाप्रदाता के पास वैध फर्म पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
4. निविदा में प्रति व्यक्ति दर, प्रस्तावित मेनू तथा कुल अनुमानित राशि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए।
5. प्रदत्त भोजन गुणवत्तायुक्त, स्वादिष्ट एवं पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी स्थिति में बासी अथवा निम्न गुणवत्ता का भोजन स्वीकार्य नहीं होगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समयानुसार भोजन उपलब्ध कराना सेवाप्रदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। विलंब अथवा अव्यवस्था की स्थिति में नियमानुसार दण्ड लगाया जा सकेगा।
7. भोजन निर्माण, भंडारण एवं परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
8. आयोजन स्थल पर भोजन परोसने हेतु आवश्यक बर्तन, सर्विंग स्टाफ, गैस, पानी एवं अन्य समस्त सामग्री की व्यवस्था सेवाप्रदाता द्वारा स्वयं की जाएगी।
9. आयोजन समितिकी गुणवत्ता कार्यालय को भोजन/, मात्रा एवं संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. सेवा असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में आयोजक द्वारा भुगतान में कटौती अथवा निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. कार्य पूर्ण होने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक प्रमाणन के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान देय होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
12. सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
14. आयोजन में संलग्न मेनू के अनुसार दिनांक 27-30 जनवरी,2026 तक भोजन की व्यवस्था की जानी है।
15. बयाना राशि रु. 16200/- मात्र अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत का डिमांड ड्राफ्ट जो की निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर के नाम से हो, आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
16. सफल निविदा दाता को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि (स्वीकृत दर का पाँच प्रतिशत) निविदा खुलने एवं आदेश जारी होने के तीन दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि केन्द्रीय सस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नाम से हो जमा करवाया जाना आवश्यक है।
17. फर्म द्वारा भोजन/पकवान बनाने के लिए ब्रांडेड देसी घी (सरस/ अमूल) तथा ब्रांडेड मूंगफली तेल का उपयोग किया जाना होगा।
18. आगन्तुकों को भोजन खिलाने के लिए परिसर द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन खिलाने के लिए टेबल मय कवर एवं कुर्सी की व्यवस्था फर्म को अपने स्तर पर करनी होगी।
19. भोजन पत्तल दोने में परोसना होगा। जिसके लिये अच्छी क्वालिटी के पत्तल दोने एव चम्मच की व्यवस्था फर्म को अपने स्तर पर करनी होगी। झूठे पत्तल दोने आदि फर्म द्वारा अपने मसालची से उठवाना होगा जिस को एकत्र कर काली थैली में पैक कर परिसर से बाहर भिजवाना होगा।

20. खाने वाले स्थान पर पर्याप्त मात्रा में मिनरल वाटर एवं डिस्पॉजल गिलास एवं कैम्पर मय डिसपेसर उपलब्ध करवाने होंगे।
21. फर्म के पास कम से कम तीन से पांच वर्षों के खान-पान सेवा संचालित करने का अनुभव होना आवश्यक है। न्यूनतम 1000-1500 लोगों के लिए दीक्षांत समारोह/युवा समारोह/सरकारी समारोह में भोजन की व्यवस्था आदि का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
22. यदि फर्म को किसी संस्था द्वारा उनके कार्य के लिए (खाने एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए) सम्मानित किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
23. फर्म द्वारा भोजन तैयार करने एवं परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
24. भोजन को पूरा करने, परोसने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेटर सहायक पर्यवेक्षक होना आवश्यक है।
25. फर्म द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार किया जाना आवश्यक है।
26. भोजन थाली की गणना के लिए परिसर द्वारा नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि के भोजन के लिए आगन्तुकों को टोकन उपलब्ध करवाये जायेंगे। जिनकी गणना के अनुसार ही नास्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन का भुगतान देय होगा।
27. आग लगने तथा कच्चे माल/तैयार माल सामग्री की चोरी के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय करने होंगे।
28. जी.एस.टी./टी.डी.एस. या कोई अन्य कटौती नियमानुसार की जायेगी।
29. फर्म का किचन/कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए। समिति के सदस्य सुविधाओं का दौरा कर सकते है और उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होने चाहिए। यदि समिति के सदस्य उपलब्ध किचन/कार्यालय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो समिति के सदस्यों को निविदा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
30. भोजन सामग्री के परोसने के दौरान अनावश्यक देरी होने पर जुर्माना खंड GFR के अनुसार लागू होता है जो कार्य आदेशों के 10 प्रतिशत तक होगा।
31. बिन्दु संख्या 16 एवं 17 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें।
32. यदि परिसर को भोजन के पैकेट की आवश्यकता हुई तो इसकी संख्या पूर्व में सूचित कर दी जायेगी।
33. भोजन की गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर स्वीकृत दर की 30 प्रतिशत कटौती की जाएगी।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में परिसर द्वारा निर्धारित समिति का निर्णय अंतिम होगा।
35. निविदा स्वीकृति के पश्चात सेवाप्रदाताको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
36. सेवाप्रदाता द्वारा केटरिंग में तैनात कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
37. सेवाप्रदाता अनुबन्ध की अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा तो नवीन ठेके से संस्थान को होने वाली क्षति की वसूली सेवाप्रदाता से की जायेगी।
38. सेवाप्रदाता का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसका ठेका पूर्व सूचना देकर केन्द्रीय सस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर द्वारा समाप्त किया जा सकता है और उसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
39. बिना कारण बताये निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर को होगा।
40. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में निदेशक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर का निर्णय मानने हेतु सेवाप्रदाता बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी।
41. निविदा स्वीकार हो जाने पर कार्यकारी आदेश का पालन नहीं किया तो निविदा प्रतिभूति शुल्क रूपये 16,200/- (सोलह हजार दो सौ रूपये मात्र जब्त कर लिये जायेंगे तथा प्रथम स्वीकृत निविदा के बाद आगामी सेवाप्रदाता को कार्यकारी आदेश जारी किया जायेगा।

42. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एवं बार-बार लापरवाही एवं अनियमितता के फलस्वरूप अपराध आरोपित किये जाने की दशा में सेवाप्रदाता को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं आगामी निविदा में भाग लेने से रोका जा सकेगा।
43. भोजन के लिए उपयोग की जाने वाले मसाले / सब्जी आदि ताजे लाकर उपयोग करना होगा।
44. फर्म के कर्मचारी मद्यपान/धूम्रपान किये जाने वाले नहीं होने चाहिए।
45. निविदा फॉर्म 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) कार्यालय में ऑनलाइन जमा करवाकर जमा राशि की पर्ची कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त पर्ची फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है।
46. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र जयपुर होगा।

6.1.26

(निदेशक)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Central Sanskrit University
(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)
(Established by An Act of Parliament)
जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)
Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

निविदा संख्या: के.सं.वि. ज./2025-26/01 दिनांक: 05.01.2026 (06)

तकनीकी निविदा
(Technical Bid)

1. टेंडर का विवरण

- टेंडर संख्या: ______________________________
- टेंडर का नाम / कार्य का नाम:
- जारी करने की तिथि: _________________________

2. आवेदक / फर्म का विवरण

- फर्म / कंपनी का नाम: _______________________
- मालिक / अधिकृत व्यक्ति का नाम: ______________
- पूरा पता:
- मोबाइल नंबर: ______________________________
- ई-मेल आईडी: _______________________________

3. पंजीकरण विवरण

- फर्म पंजीकरण संख्या : ______________
- GST नंबर : ____________________
- PAN नंबर: _________________________________
- FSSAI लाइसेंस संख्या: ___________________
- FSSAI वैधता तिथि: ______________________

4. कार्य का अनुभव

- संबंधित कार्य का अनुभव (वर्षों में): __________
- पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण:

5. वित्तीय विवरण

- वार्षिक टर्नओवर (पिछले वर्ष): _______________
- EMD राशि: __________________________________
- EMD भुगतान का माध्यम: _____________________

6. दस्तावेज संलग्न

कृपया निम्न दस्तावेज संलग्न करें (✓ लगाएँ):

- फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
- GST प्रमाण पत्र
- PAN कार्ड
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
- EMD रसीद
- अन्य (विवरण दें): _________________________

7. घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है। टेंडर की सभी शर्तें एवं नियम हमें स्वीकार हैं। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरा/हमारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर: _________________________

- **नाम:** _________________________________
- **तिथि:** _________________________________
- **फर्म की मुहर:** ___________________________

रूपक महोत्सव, 2026 भोजन मीनू

क्र.सं.	दिनांक	मीनू
1.	27.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	पोहा, जलेबी (देशी घी), पुड़ी–सब्जी, चाय, कॉफी
2.	27.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	खीर, पुड़ी, चपाती, चावल, मूंग दाल, हरी सब्जी, सूखी सीजनेबल सब्जी, रायता, सलाद, पापड़ आचार
3.	27.01.2026 (रात्रि भोजन)	गुलाब जामुन (देशी घी), कढ़ी पकौड़ा, अरहर दाल, मिक्स वेज, चावल, चपाती, पालक मिक्स पूड़ी, रायता, सलाद, पापड़
4.	28.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	खम्मण, पकौड़ी, जलबी (देशी घी), सॉस, हरी चटनी, चाय एवं कॉफी
5.	28.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	रसगुल्ला (स्पंज), मिक्स वेज, दाल मिक्स, मलाई कोफ्ता, पुलाव/जीरा राईस, चपाती, रायता (बूंदी), सलाद, पापड़, सादा पुड़ी, सरसों का साग, मक्के की रोटी,
6.	28.01.2026 (रात्रि भोजन)	बालू शाही/मक्खन बड़ा, गुड़, चना दाल, हरी सब्जी सिजनेबल, मटर सब्जी, चावल, चपाती, रायता, सलाद, पापड
7.	29.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	इड़ली, सांभर, चटनी, केले, चाय एवं कॉफी
8.	29.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	खोपरा पाक, मिक्स वेज, दाल मिक्स, हरी सब्जी, पुलाव, चपाती, सादा एवं पालक मिक्स पूड़ी, रायता (बूंदी), सलाद, पापड़, बाजरे की रोटी, गुड़
9.	29.01.2026 (रात्रि भोजन)	गाजर का हलवा, दाल फ्राई, हरी सब्जी, बेसन गट्टा, चावल, तवा एवं सादा एवं पालक पूड़ी, सलाद, पापड़
10.	30.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	पूड़ी–सब्जी, जलेबी (देशी घी), चाय एवं कॉफी
11.	30.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	देशी घी में चूरमा (सादा चूरमा, बेसन एवं बादाम), दाल, कश्मीरी कड़ी, मिर्च, बाफलाबाटी, मावा बाटी, लहसुन की चटनी, छाछ, सलाद, पापड़, फ्राई बाटी, चावल, पुड़ी, आलू की सूखी सब्जी
12.	30.01.2026 (रात्रि भोजन)	अखरोट हलवा, दाल, आलू–गोभी टमाटर, मिक्स वेज, चावल, चपाती, सादा पुड़ी, सलाद, पापड़

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
जयपुर परिसर

वित्तीय निविदा

दिनांक 28.01.2026 एवं 29.01.2026 तक आयोजित होने वाले रूपक महोत्सव के लिए भोजन मीनू का विवरण :

क्र.सं.	दिनांक	मीनू	संख्या	निर्धारित दर
1.	27.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	पोहा, जलेबी (देशी घी), पुड़ी–सब्जी, चाय, कॉफी	450	
2.	27.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	खीर, पुड़ी, चपाती, चावल, मूंग दाल, हरी सब्जी, सूखी सीजनेबल सब्जी, रायता, सलाद, पापड़ आचार	450	
3.	27.01.2026 (रात्रि भोजन)	गुलाब जामुन (देशी घी), कढ़ी पकौड़ा, अरहर दाल, मिक्स वेज, चावल, चपाती, पालक मिक्स पूड़ी, रायता, सलाद, पापड़	450	
4.	28.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	खम्मण, पकौड़ी, जलबी (देशी घी), सॉस, हरी चटनी, चाय एवं कॉफी	450	
5.	28.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	रसगुल्ला (स्पंज), मिक्स वेज, दाल मिक्स, मलाई कोफ्ता, पुलाव/जीरा राईस, चपाती, रायता (बूंदी), सलाद, पापड़, सादा पुड़ी, सरसों का साग, मक्के की रोटी,	450	
6.	28.01.2026 (रात्रि भोजन)	बालू शाही/मक्खन बड़ा, गुड़, चना दाल, हरी सब्जी सिजनेबल, मटर सब्जी, चावल, चपाती, रायता, सलाद, पापड	450	
7.	29.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	इड़ली, सांभर, चटनी, केले, चाय एवं कॉफी	450	
8.	29.01.2026 (दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	खोपरा पाक, मिक्स वेज, दाल मिक्स, हरी सब्जी, पुलाव, चपाती, सादा एवं पालक मिक्स पूड़ी, रायता (बूंदी), सलाद, पापड़, बाजरे की रोटी, गुड़	450	
9.	29.01.2026 (रात्रि भोजन)	गाजर का हलवा, दाल फ्राई, हरी सब्जी, बेसन गट्टा, चावल, तवा एवं सादा एवं पालक पूड़ी, सलाद, पापड़	450	
10.	30.01.2026 (प्रातः 07:30 बजे अल्पाहार)	पूड़ी–सब्जी, जलेबी (देशी घी), चाय एवं कॉफी	450	
11.	30.01.2026	देशी घी में चूरमा (सादा चूरमा, बेसन एवं बादाम), दाल, कश्मीरी	450	

	(दोपहर भोजन समय 01:00 बजे)	कढ़ी, मिर्च, बाफलाबाटी, मावा बाटी, लहसुन की चटनी, छाछ, सलाद, पापड़, फ्राई बाटी, चावल, पुड़ी, आलू की सूखी सब्जी		
12.	30.01.2026 (रात्रि भोजन)	अखरोट हलवा, दाल, आलू–गोभी टमाटर, मिक्स वेज, चावल, चपाती, सादा पुड़ी, सलाद, पापड़	450	

नोटः–

1. सब्जी एवं अन्य सामग्री का निर्माण सरसों एवं मूंगफली तेल के उपयोग से होगा और मसाले गुणवत्ता प्रमाणित (MDH, Everest) कम्पनियों के ही प्रयोग में लिए जाएं।
2. भोजन स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। भोजन अधिक मसालेदार मिर्चयुक्त अथवा तेलीय नहीं होगा।
3. नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित संख्या से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने पर उसका कूपन प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। भोजन की व्यवस्था 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभव होने पर उसकी सूचना पूर्व में दे दी जाएगी।
4. नाश्ता अथवा भोजन में परोसे जाने वाले किसी भी वस्तु में लिमिट नहीं होगी।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम एवं पता ....

मोबाइल नम्बर ....